केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 332 बुधवार 26 जून 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

रवीश गुप्ता बस्ती के नये डीएम

लखनऊ (आभा)। रवीश गुप्ता को बस्ती का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन स्तर पर अनेक अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है।

युवकों ने सरे आम लहराए हथियार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर थानाक्षेत्र के कुछ युवकों ने स्कॉर्पियो कार में सवार होकर लाइसेंसी हथियारों के साथ वीडियो बनाया। यह युवकों का यह टशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अपने परिजनों के लाइसेंसी हथियार लेकर टशन दिखा रहे हैं। अब यह टशन युवकों को महंगा पड़ गया। मामला अब एसएचओ नगर जयवर्धन सिंह तक पहुंचा तो नगर पुलिस इसकी जांच–पड़ताल शुरु कर दी।

वायरल वीडियो में कुछ युवक असलहों का प्रदर्शन करते हुए स्कार्पियो गाड़ी का हूटर बजाते दिखाई दे रहे हैं। कार के आगे शीशे पर पुलिस का लोगो भी दिख रहा है। हालांकि 'भारतीय बस्ती समाचार पत्र ऐसे किसी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। एसएचओ जयवर्धन सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो फुटेज की छानबीन की जा रही है। आरोपियों के उपर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आवास विकास में जल का संकट

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहरी क्षेत्र के कई मोहल्ले में जलापूर्ति का संकट गहरा गया है। सर्वाधिक परेशानी आवास विकास कॉलोनी में है। यहां पिछले छह दिनों से करीब दो से तीन सौ घरों की सप्लाई ठप है। यहां के नागरिक इस भीषण गर्मी में बूंद–बूंद पानी को तरस रहे हैं।

आवास विकास कॉलोनी अत्रि कुमार श्रीवास्तव के घर के पास वॉटर सप्लाई का पाइप फट गया है। बताया जा रहा है कि जब पाइप को ज्वाइंट करके दुरुस्त करके आपूर्ति बहाल कर रहे, प्रेशर पड़ते ही फिर से पाइप फट जा रहा है। यह सिलसिला पिछले छह दिनों से जारी है। इससे आधे मोहल्ले की जलापूर्ति ठप है। लोगों का कहना है कि पाइप की जो गुणवत्ता है वह काफी खराब है, प्रेशर झेल नहीं पा रहा। आवास विकास के सभासद परमेश्वर शुक्ल पप्पू का कहना है कि पाइप का ज्वाइंटर बार–बार फट जा रहा है। इससे समस्या आ रही है।

कार में आग लगी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सिविल लाइन पुलिस बूथ कंपनीबाग के सामने रात में चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार में तेज आग की लपटे उठने लगी। कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत से कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कार सवार चालक समेत दोनो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में सवार गाड़ी मालिक अमित कुमार तिवारी निवासी आवास विकास कालोनी सिविल लाइन से देर रात अपने घर आवास विकास जा रहे थे। इस दौरान कंपनीबाग चौराहे पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया।अग्निशमन अधिकारी पीपी मिश्र ने बताया कि चलती कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। फिलहाल आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।

देश के इतिहास में पहली बार होगा स्पीकर पद पर चुनावः मतदान 26 को

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया गुट के बीच कोई सहमति नहीं होने और नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण, दोनों गठबंधनों ने अलग–अलग अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 26 जून को, जैसे ही लोकसभा बुलाई जाएगी, सांसद अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे, जिसमें एनडीए उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला और विपक्ष के नामांकन के रूप में कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश के बीच चयन किया जाएगा।

कोटा से तीन बार सांसद रहे ओम बिरला और केरल से सबसे लंबे समय तक लोकसभा सांसद रहे के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया आज 25 जून को होगी और चुनाव 26 जून को होंगे।

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से किया जाता है। लोकसभा में उपस्थित 543 सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देते हैं। 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सांसदों वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। संसद के निचले सदन में विपक्षी गुट के पास 234 विधायक हैं। एनडीए के पक्ष में संख्याबल के साथ, ओम बिरला दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। ओम बिरला पहली बार 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। कोटा से सांसद के रूप में लौटने पर उन्हें सर्वसम्मति से 17 वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में के सुरेश का नामांकन उपसभापति पद को लेकर एनडीए और इंडिया गुट के बीच तनावपूर्ण बहस के बाद हुआ। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि वह एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन तभी जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। एनडीए द्वारा उप सभापति पद की विपक्ष की मांग स्वीकार नहीं करने के बाद कोडिकुन्निल सुरेश को मैदान में उतारा गया। 62 वर्षीय कोडिकुन्निल सुरेश आठ बार के सांसद और सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं। वह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक भी हैं।

आजादी के बाद यह पहली बार है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा क्योंकि विपक्ष ने भी इस पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति से होता आया है। चूंकि सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए दोनों गुटों ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव 26 जून को होगा।

बेगुनाह मुसलमानों की हत्या पर रोक लगेः राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला महासचिव रिफाकत अली के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग किया गया है कि बेगुनाह मुसलमानों की मॉबलीचिंग और हत्याओं को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद मॉबलीचिंग की देश भर में अनेक स्थानों पर घटी घटनाओं, मुसलमानों की हत्या मामलों की विस्तार से जानकारी देते हुये मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिला महासचिव रिफाकत अली ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और राज्य में सरकारें बनी है मुसलमानों पर अन्याय और अत्ययाचार की घटनायें बढ गई हैं। फर्जी गोकशी, लब जेहाद के नाम पर उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। यहां तक कि पुलिस कस्टडी और चलती ट्रेनों तक में मुसलमानों का जीवन सुरक्षित नहीं है। मांग किया कि इस प्रकार के जुल्म, अत्याचार पर रोक लगे।

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में हत्या के दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कम समय में दण्ड दिये जाने, निर्दोष मुसलमानों की हत्या मामलों में आश्रितों को एक करोड़ रूपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उनके बच्चों को पढाने की व्यवस्था, समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों पर पाबन्दी, विस्थापितों को आर्थिक क्षति के मामलों में 50 लाख रूपये का मुआवजा, इस्लाम धर्म से जुडे धार्मिक धरोहरों के संरक्षण आदि की मांग शामिल है।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से मोहम्मद जावेद, हृदय गौतम, सुग्रीव चौधरी, मोहन कुमार, चन्द्र प्रकाश गौतम, अंकुर गौतम आदि शामिल रहे।

पूर्व विधायक द्वारा कुर्मी समाज के अपमान पर रोषः कुर्मी महासभा ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को भारतीय कुर्मी महासभा जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा के नेतृत्व में महासभा पदाधिकारियों ने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बलरामपुर सदर के पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू' द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद राम शिरोमणि वर्मा के साथ ही कुर्मी समाज के लोगों को अपमानजनक भद्दी, भद्दी गाली देने के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही किया जाय। यदि ऐसा न हुआ तो महासंघ आर–पार का संघर्ष करने को बाध्य होगा।

कुर्मी महासभा के मंडल अध्यक्ष डॉ हनुमान प्रसाद चौधरी ने कहा कि बलरामपुर सदर के पूर्व विधायक द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे सांसद राम शिरोमणि वर्मा के साथ ही कुर्मी समाज गाली दी गई जो निन्दनीय है। यदि प्रशासन द्वारा दोषी पूर्व विधायक पर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय कुर्मी महासभा पूरे प्रदेश मे धरना प्रदर्शन करेगी ।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से कुर्मी महासभा के आर.के. सिंह पटेल, बद्री प्रसाद चौधरी, अरविन्द चौधरी, ई.के.सी. चौधरी, अशोक वर्मा, विद्यासागर चौधरी, अशोक चौधरी, कल्याण, उदयभान चौधरी, मार्तण्ड वर्मा, प्रमोद कुमार चौधरी, संदीप चौधरी, राजेन्द्र चौधरी आदि शामिल रहे।

बड़ौदा यूपी बैंक सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष बने का. के.के. श्रीवास्तव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के हितों के लिये अनवरत संघर्ष करने वाले का. के.के. श्रीवास्तव को बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त समिति का अध्यक्ष चुना गया है। प्रतापगढ में आयोजित समिति के सम्मेलन में हुये चुनाव के दौरान उन्हें अध्यक्ष चुना गया।

का. के.के. श्रीवास्तव को बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर लोगों में प्रसन्नता है। मंगलवार को बैंक के साथ ही ट्रेड यूनियन से जुड़े अनेक लोगों ने उनके घर पहंचकर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। का. के.के. श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपे गये हैं पूरा प्रयास होगा कि बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाय। इस दिशा में प्रयास निरन्तर जारी रहेगा। बैंक इम्पलाइज यूनियन के शिवम् द्विवेदी ने कहा कि हमारे बैंक संगठन संरक्षक की जीत निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। उनका सहयोग बड़ौदा यूपी बैंक कर्मियों को निरन्तर मिलता रहेगा।

देश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त फोरम की आम सभा में का. के.के. श्रीवास्तव को अध्यक्ष चुने जाने पर ट्रेड यूनियन नेता का.के.के. तिवारी, का. अशर्फीलाल, शिक्षक संघ के उदयशंकर शुक्ल, महिला आंगनवाड़ी के शिवसागर पाण्डेय, राज्य कर्मचारी से शिवशंकर, मस्तराम वर्मा, राम अधार पाल, अष्टभुजा शुक्ल, बंश गोपाल मिश्रा , सलिल जैन , अंकित विष्णोई, विशाल चौधरी, सब्बीर अहमद, आदि ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना बना लें अधिकारी, एम्बुलेंस की गतिविधियों पर रहे निगाह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा के प्रति छात्र–छात्राओं को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाय। प्रवर्तन कार्य में तेजी लायी जाय तथा प्रत्येक दुर्घटना की समीक्षा करके इसके कारणों की जानकारी की जाय। सभागार में आयोजित मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि अधिक दुर्घटना वालें ब्लैक स्पाट पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करके इन्हें समाप्त किया जाय।

उन्होने नेशनल हाईवे पर आवश्यकतानुसार संकेतक चिन्ह लगाये जाने का निर्देश संबंधित को दिया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि सड़को को गड्ढामुक्त करने की कार्ययोजना अभी से ही बना ली

जाय, जिससे कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़ें। इसके साथ ही दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का स्वैच्छिक मदद प्रदान करने वाले गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) को बढावा देने के लिए शासन स्तर पर पत्र प्रेषित करने का निर्देश संबंधित को दिया और कहा कि जनपद स्तर पर भी ऐसे नेक व्यक्तियों को सम्मानित कराया जाय।

आईजी आर.के. भारद्वाज ने कहा कि सरकारी एंबुलेन्स के साथ–साथ प्राईवेट एंबुलेन्स के गतिविधियों पर निगाह रखी जाय। ई–रिक्शा का रूट निर्धारित किया जाय। उन्होने कहा कि ट्रैक्टर–ट्राली पर लाल पट्टी (रिफ्लेक्टर) लगवाया जाय, जिससे दुर्घटना होने से बचा जा सके।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रवि कान्त शुक्ला ने बताया कि माह अप्रैल से मई 2024 तक बिना हेलमेट के बस्ती में 1209, सिद्धार्थनगर में 4114 तथा संतकबीर नगर में 1965 व्यक्तियों का चालन किया गया। उन्होने बताया कि जनवरी से मार्च तक बस्ती में 16, सिद्धार्थनगर में 02 तथा संतकबीर नगर में 12 लाइसेंस धारको का लाइसेंस निरस्त किया गया। बैठक में जिलाधिकारी अंद्रा वामसी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.एस. दुबे, उप जिलाधिकारी सदर शत्रुघ्न पाठक, एआरटीओ पंकज कुमार, परियोजना निदेशक, राजेश झा, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी केशवलाल, अवधेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी भानुभाष्कर, एआरएम आयुष भट्नागर, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

यूपी में पेपर लीक पर उम्र कैद का प्राविधान

लखनऊ (आभा)। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए योगी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल करने और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के तहत नकल करने या कराने और पेपरलीक करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्राविधान सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो नकल करने या कराने में शामिल होंगे, उन्हें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने को शामिल किया गया है। परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई साल्वर गैंग से वसूली जाएगी। साथ ही उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी।

कैबिनेट की बैठक में विभिन्ध्न विभागों के मुल 44 प्रस्ध्ताव रखे गए थे जिनमें से 43 पर मुहर लग गई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर की सीमा के विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इन शहरों के विकास प्राधिकरणों में कई नए गांवों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के सात प्रस्तावों पर मुहर लगी है। धर्मनगरी अयोध्या में टाटा समूह के सीएसआर फंड से करीब 750 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण होगा।

सफाई कर्मियों की बैठक में उठे मुद्दे ऑन लाइन हाजिरी न कराये जाने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

–सफाई कर्मियों के हितों के लिये जारी रहेगा संघर्ष–अजय आर्य

बैठक में सफाई कर्मियों की ऑन लाइन उपस्थिति न कराये जाने, वर्षो से जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालयों पर तैनात सफाई कर्मियों को उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजे जाने, सफाई कर्मचारियों को सफाई उपकरण किट दिये जाने, महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति तैनाती स्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में किये जाने, सामूहिक टीम में डियूटी से मुक्त किये जाने, सफाई कर्मचारियों से छुट्टा मवेशियों को पकड़ने या गौशाला का कार्य न लिये जाने, सफाई कर्मचारियों का पेरोल शासनादेश के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा ही जमा कराये जाने, वंचित सफाई कर्मियों की एसीपी लगाये जाने, दिव्यांग कर्मचारियों को दिव्यांग भत्ता दिये जाने, आदि मुद्दों पर विचार किया जाय।

इसी कड़ी में बैठक में सभी सफाई कर्मचारियों को कार्यालय से पहचान पत्र निर्गत किये जाने, मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को समस्त देयकों का भुगतान कराकर कराकर अबिलम्ब पेंशन स्वीकृत कराने, जिन कर्मचारियों का वेतन बाधित है उनका भुगतान प्रार्थना पत्र के आधार पर कराये जाने, निलम्बित सफाई कर्मचारियों के बहाल होने के बाद निलम्बन अवधि का वेतन एरियर अविलम्ब उपलब्ध कराने, सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रकिया पूर्ण किये जाने के मुद्दे उठे।

जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य ने बैठक में कहा कि संघ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिये प्रतिबद्ध है और मांगों के समर्थन में चरणबद्ध संघर्ष जारी रहेगा।

बैठक में मुख्य रूप से जिला मंत्री मनोज कुमार चौहान, जिला कोषाध्यक्ष पेशकार, अमित चक्रवर्ती, अशोक कुमार दूबे, बलराम, बुधई प्रसाद, बजरंगी, संजय यादव, जाहिद अली, राम बहादुर, अशोक कुमार चौधरी, हरिश्चन्द्र, असलम अंसारी, शेषराम वर्मा, महेन्द्र प्रताप, भरतराम, मुकुन्दनाथ, हनुमान प्रसाद, जितेन्द्र कुमार, कप्तान कुमार, रूदल कुमार, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, राम सूरत, शिवमंगल पाण्डेय, संजय यादव, रूदल, बलराम यादव, बुधई प्रसाद, सूर्य प्रकाश पाण्डेय के साथ ही संघ पदाधिकारी और सफाईकर्मी शामिल रहे।

टोल से बचने के लिये विशेषरगंज मार्ग से जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश रोकने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों संग प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए भाजपा नेता समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने जिलाधिकारी को सम्बोधित सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त उपजिलाधिकारी बस्ती को सौंपा। मांग किया कि एनएच27 से राम–जानकी मार्ग विशेषरगंज को जोड़ने वाले महूघाट विशेषरगंज मार्ग से (टोल चोरी करने वाले) भारी वाहनों का आवागमन रोकने हेतु स्थाई बैरियर लगाया जाय।

–भाजपा नेता सुदामा ने ग्रामीणों के साथ सौंपा ज्ञापन
–भगवान परशुराम के पोस्टर से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई न हुई तो देंगे धरना

ज्ञापन देने के बाद भाजपा नेता सुदामा पाण्डेय ने बताया कि वे सभी महूघाट विशेषरगंज मार्ग के किनारे स्थित क्रमशः बेलाडे, सहरायें, पहितिया,पौली, पूरेअजवी, भिरवा, नारायनपुर, बसडीला, अटवा ,डुहरिया,नदायें, निदूरी गांव के निवासी हैं । उनके गांव से होकर जाने वाली इस सड़क से हजारों भारी वाहन टोल बचाने के चक्कर में दिन रात आते जाते रहते हैं जिससे जहां सड़क टूट रही है वहीं इस मार्ग से आने जाने वाले हजारों छात्र छात्राओं व ग्रामीणों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है और आयें दिन इनके चपेट में आकर लोग चोटिल भी हो जाते हैं पूर्व में उन लोगों की मांग पर टोल प्लाजा चौकडी द्वारा हाइवे किनारे बैरियर लगाकर ऐसे वाहनों को कुछ दिन रोका गया किन्तु बाद में बैरियर हटा लिया गया जिससे गाड़ियों का आवागमन पुनः शुरू हो गया है।

बताया कि अवैध भारी वाहनों को जनहित में तत्काल रोका जाना नितांत आवश्यक है क्योंकि जब 25–50टन भार क्षमता वाली सड़क पर 100–200 टन भार वाहन चलेंगे तो सडक बदहाल हो जायेगी ।

श्री पाण्डेय ने कहा कि अधिकारी किसी भी दिन रात आठ बजे के बाद खुद निरीक्षण कर लें ये लोग न केवल अनियंत्रित गति में वाहन चलाते हैं अपितु बाइक निकलने तक के लिए भी जगह तक नहीं देते। उन्होंने मांग किया कि उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन रोकने हेतु तत्काल स्थाई बैरियर लगाने अथवा टोल चौकड़ी को अस्थाई बैरियर लगाते हुए भारी वाहनों को रोकवाने हेतु निर्देशित किया जाय। इसी कड़ी में सुदामा पाण्डेय ने कहा कि परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम के पोस्टर से छेड़छाड़ कर शिक्षक ग्रुप में उसे वायरल कर हम लोगों की भावना को आहत करने वाले खण्ड शिक्षा अधिकारी हर्रैया जो कि काफी दिनों से वहां तैनात हैं उन्हें तत्काल हटाते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय अन्यथा की दशा में हम ग्रामीणों संग आर पार के संघर्ष को बाध्य होंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटायेंगे।

ज्ञापन देने वालों में बैजनाथ शुक्ल, आशीष मिश्र, श्यामू, सत्यम शुक्ल, राहुल त्रिपाठी,राम तेज मिश्र,शिवा, हौसिला यादव, राजेन्द्र यादव, महेश शुक्ल, मनोज गौतम, रोशन अली, अनिल शुक्ल, नरसिंह गोस्वामी, जटाशंकर ओझा,मृदुल कुमार, रोहित गुप्ता,लल्लन, रजनीश शुक्ल,केदारनाथ, रोहित त्रिपाठी,गौरव त्रिपाठी, क्रम चन्द,राम सुमेर, रामनाथ, दीपनारायण शुक्ल,राणा ओझा,रवी कुमार, राहुल, सूरज कुमार, रामसजीवन, मुन्नर, नगेन्द्र पाण्डेय, रघुनाथ, शिवराम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक **भारतीय बस्ती**

बस्ती 26 जून 2024 बुधवार

सम्पादकीय

गिरते पुल, टूटती उम्मीदें

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, मनमानी नियति बनता जा रहा है। आये दिन करोड़ों रूपयों की परियोजनायें ध्वस्त हो जाती है और जबाबदेही के अभाव में उच्चाधिकारियों का बाल तक बांका नहीं होता। बरसात आने से पहले ही बिहार में एक सप्ताह के भीतर एक के बाद एक तीन पुलों का गिरना सार्वजनिक निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों को बेनकाब करता है। लगातार धड़ाधड़ गिरते पुल न केवल ठेकेदारों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। एक सप्ताह के भीतर बिहार के मोतिहारी में रविवार को एक पुल गिरने की तीसरी घटना हुई। इससे पहले अररिया और सिवान में भ्रष्टाचार के पुल गिरे थे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाला जो पुल गिरा, उसकी एक दिन पहले ही ढलाई हुई थी। रात में पुल भरभरा कर गिर गया। यदि यह पुल यातायात खुलने के बाद गिरता तो न जाने कितनी जानें चली जातीं। आरोप है कि घटिया सामग्री के कारण पुल बनने से पहले गिर गया। शनिवार को सिवान में गंडक नहर पर बना तीस फीट लंबा पुल गिर गया, जो चार दशक पहले बना था। इसी तरह मंगलवार को अररिया में बारह करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया था। पुल के तीन पाये ध्वस्त हो गए थे। बिहार में निर्माण कार्यों में धांधलियों का आलम यह है कि पिछले पांच सालों के दौरान दस पुल निर्माण के दौरान या निर्माण कार्य पूरा होते ही ध्वस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि बीते साल जून में भागलपुर में गंगा नदी पर करीब पौने दो हजार करोड़ की लागत से बन रहे पुल के गिरने पर भारी शोर मचा था। लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। पुलों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी है। जो बताता है कि नियम—कानून ताक पर रखकर बेखौफ घटिया सामग्री वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य जारी हैं। जाहिर है ऊपर से नीचे तक की कमीशनखोरी और जनता की कीमत पर मोटा मुनाफा कमाने वाले ठेकेदारों की मनमानी जारी है। तभी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग बेखौफ किया जा रहा है। यदि शासन—प्रशासन का भय होता तो पुल यूं धड़ाधड़ न गिर रहे होते।

सवाल ये उठता है कि आजादी के सात दशक बाद भी हम देश की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाला तंत्र क्यों विकसित नहीं कर पाए? यह जरूरी है कि सार्वजनिक निर्माण गुणवत्ता का हो और उसका निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। इन योजनाओं को इस तरह डिजाइन किया जाए, जिससे कई पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही वह दुर्घटनामुक्त और जनता की सुविधा बढ़ाने वाला हो। मगर विडंबना देखिए कि बिहार के पुल उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो रहे हैं। स्पष्ट है कि मोटे मुनाफे के लिए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरा निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों का काम निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करना होता है, वे आंखें मूंदे बैठे हैं। जो समाज में मूल्यों के पराभव व आपराधिक तत्वों की निर्माण कार्यों में गहरी दखल को ही दर्शाता है। यही वजह है कि भारी यातायात के दबाव वाले दौर में पुल अपना ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं। यूं तो कभी किसी हादसे की वजह से भी पुल गिर सकते हैं, मगर निरंतर कई पुलों का कुछ ही दिनों में गिरना साफ बताता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसमें भ्रष्टाचार की बड़ी भूमिका है। दरअसल, सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता की यदि समय—समय पर जांच होती रहे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता था। इन हादसों की वजह यह भी है कि राजनेताओं व दबंगों के गठजोड़ से ऐसे लोगों को ठेके मिल जाते हैं, जिनको न तो बड़े निर्माण कार्यों का अनुभव होता है और न ही गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता होती है। निस्संदेह, यह नागरिकों के जीवन से जुड़ा गंभीर मसला है। इसलिये सरकार और निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि निर्माण कार्य यूं ही ध्वस्त होते रहे तो इससे सरकारी निर्माण कार्य की लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। सरकारी राजस्व का भी नुकसान होगा। वक्त की मांग है कि सार्वजनिक निर्माण में भ्रष्टाचार रोकने के लिये

जो हारे वो जशन में, जो जीते वे उदास

—राम माधव—

यह विडम्बना ही है कि जो चुनाव हार गए हैं, वे जश्न मना रहे हैं, जबकि जो जीते हैं, वे उदास हैं। कांग्रेस ने 2014 में इतिहास में अपनी सबसे कम सीटें छुई थीं, 2009 में ये सीटें 206 थीं, जो घटकर 44 सीटों पर आ गई थीं और 2019 के चुनावों में अपनी सीटों की संख्या में मामूली सुधार करके उस पराजय से उबरने में कांग्रेस विफल रही। इस बार काफी प्रचार के बावजूद सिर्फ 99 सीटें जीत पाई। इसका वोट शेयर 21 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है जबकि भाजपा का वोट शेयर 36.37 प्रतिशत के आसपास है। यह 11 राज्यों में खाता खोलने में विफल रही, जिनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू—कश्मीर और त्रिपुरा जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। इसने उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सिर्फ एक सीट जीती। भाजपा भी 7 राज्यों में अपना खाता खोलने में विफल रही लेकिन महत्वपूर्ण राज्य केवल तमिलनाडु और पंजाब हैं।

यह सांख्यिकीय वास्तविकता दर्शाती है कि लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में काम करने का जनादेश दिया है। फिर भी, कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि जनादेश एन.डी.ए. के लिए नहीं बल्कि उनके लिए था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भविष्यवाणी की कि 'मोदी की अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है' जबकि राहुल गांधी ने 'भारतीय राजनीति में भूगर्भीय बदलाव' तथा 'मोदी के विचार और छवि नष्ट हो गई है' जैसे तर्कों का इस्तेमाल करके निष्कर्ष निकाला कि एन.डी.ए. सरकार 'बहुत कमजोर' है और 'छोटी सी गड़बड़ी' पर गिर सकती है। कांग्रेस नेतृत्व 2 भ्रमों से ग्रस्त है। पहला— जनादेश उनके लिए था न कि मोदी के लिए और दूसरा—एन.डी.ए. गठबंधन जल्द ही टूट जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वभाव से गठबंधन चलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

मोदी की असली चुनौती इस गठबंधन को संभालना नहीं है। 240 सीटों के साथ भाजपा गठबंधन सरकार चलाने के लिए एक अस्थिर इंडिया गठबंधन सरकार की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक स्थिति में है। भाजपा महाराष्ट्र और असम सहित कई राज्यों में गठबंधन सरकारों का नेतृत्व कर रही है। इसके अलावा 3 दशकों से अधिक के अपने विशाल राजनीतिक अनुभव के साथ, मोदी को गठबंधन की राजनीति में नौसिखिया नहीं माना जा सकता है। मोदी के लिए चुनौती अपने गठबंधन को संभालने से नहीं, बल्कि एक ऐसे विपक्ष से आएगी जो इस मानसिकता के साथ सदन में आ रहा है कि सत्तारूढ़ दल के पास शासन करने का जनादेश नहीं है। मोदी ने कहा कि उन्हें एक 'अच्छे विपक्ष' की कमी खल रही है। उन्हें इस कार्यकाल में एक कटु विपक्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। संसद के अशांत जल को संभालने के अलावा नई सरकार को कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

बढ़ती युवा आबादी, जिसमें 20 मिलियन से अधिक युवा सालाना 18 वर्ष की रोजगार योग्य आयु प्राप्त करते हैं, किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती होगी। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस पर पार पाने के लिए कई पहल की हैं, मुख्य रूप से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करके। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 2021 में भारत की व्यापार करने की क्षमता की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। फिर भी कई प्रणालीगत बाधाएं बनी हुई हैं। भारत इंडस्ट्री 4.0 इंटरनैट 3.0 और जेनेटिक्स 2.0 के दौर में है। हमारे शिक्षा क्षेत्र को नई वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। विपक्ष स्वाभाविक रूप से नीट और नैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर विवाद खड़ा करेगा लेकिन शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन खराब है। कई लोग जिसे नवाचार कहते हैं, वह ज्यादातर नकल है, जहां नकल रचनात्मकता का विकल्प बन जाती है।

आर एंड डी और नवाचार क्षेत्र में भी निजी पूंजी के अधिक निवेश की जरूरत है। दुर्भाग्य से, हमारा आर एंड डी फंड्क्षडग सार्वजनिक और निजी दोनों हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत भी नहीं है, जो लगभग 17 बिलियन डॉलर है। चीन इस पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है। यह आर एंड डी पर सालाना करीब 500 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो भारत के खर्च का लगभग 30 गुना है, जबकि अमरीका लगभग 600 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 2022 में भारत ने लगभग 60,000 पेटैंट दायर किए, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत घरेलू बाजार के लिए थे। इन पेटैंटों की कथित गुणवत्ता बहुत कम थी। दूसरी ओर चीन ने उसी वर्ष 4 मिलियन पेटैंट दायर किए, जिनमें से 25 प्रतिशत उच्च मूल्य पेटैंट थे। चीन के विपरीत हमारे पास ऐसा कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। अमरीका ने 2022 में लगभग 0.7 मिलियन पेटैंट दायर किए। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मोदी सरकार द्वारा दिए गए धक्के के कारण भारत का शोध उत्पादन 2017—22 के दौरान लगभग 54 प्रतिशत बढ़कर एक मिलियन शोधपत्रों तक पहुंच गया, जिससे यह वैश्विक रूप से चौथे स्थान पर आ गया। हालांकि इनमें से कई पत्रों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि शोध साइंस बैल के अनुसार उनमें से केवल 15 प्रतिशत का ही शीर्ष अकादमिक पत्रिकाओं में हवाला दिया गया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के साथ—साथ एक अडिग राजनीतिक विपक्ष जो किसी भी तरह की शर्म की परवाह नहीं करता, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके रिकॉर्डतोड़ तीसरे कार्यकाल में एक वास्तविक परीक्षा बन सकता है।

वे बच्चे जो घरों को नहीं लौटे

—क्षमा शर्मा—

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने चौदह साल से कम उम्र के तेईस खोए हुए बच्चों को उनके माता—पिता से मिलवाया है। पुलिस ने बच्चों की काउंसलिंग भी की। पता चला कि वे घर का रास्ता भटककर खो गए थे। इनमें से कई बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए गए थे। कई दुकानों से सामान लाने गए थे और रास्ता भूल गए थे। कई बच्चे ऐसे भी थे जो ठीक से बोल नहीं पाते थे। पुलिस ने बताया कि इन बच्चों को अपने घर का पता नहीं मालूम था। न ही वे ये बता सकते थे कि उनके घर के आसपास ऐसी कौन—सी मशहूर जगह या लैंडमार्क है जहां पहुंचकर घर जाया जा सके। पुलिस को पता चला कि घर वालों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था कि बच्चों को घर का पता याद होना जरूरी है। अब पुलिस माता—पिता को इस बारे में शिक्षित कर रही है कि वे बच्चों को अपने घर का पता, टेलीफोन नम्बर आदि जरूर याद कराएं। उनके कपड़ों में घर का पता और फोन नम्बर लिखकर हमेशा रख दें जिससे अगर वे रास्ता भूल भी जाएं तो कोई उन्हें घर पहुंचा दे। पुलिस के पास आएं तो पुलिस को भी बच्चों को घर लाने में आसानी हो। दिल्ली पुलिस ने ऐसे सोलह बच्चों को भी ढूंढ़ निकाला जिन पर इनाम घोषित था। पैंतालीस ऐसे बच्चों को भी उनके घर पहुंचाया गया, जो परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते थे, इस वजह से घर वालों की डांट खाते थे। इसलिए वे बिना बताए घर से चले गए थे।

बच्चों का खोना या हाट, मेले में घर वालों से बिछुड़ना कोई नई बात नहीं है। इस विषय पर बहुत—सी फिल्में भी बन चुकी हैं। बचपन में इसीलिए अक्सर घर वाले घर से बाहर तभी जाने देते थे, जब घर का कोई बड़ा साथ हो। दरअसल, बच्चे चुराने वाले गिरोह भी सक्रिय रहते थे, जो आज भी रहते हैं। इसके अलावा अड़ोस—पड़ोस भी आज की तरह कोई बेगाना नहीं था। हर कोई एक—दूसरे के परिवार वालों को जानता था, इसलिए बच्चे सुरक्षित भी रहते थे।

बचपन बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट 'मिसिंग चिल्ड्रन आफ इंडिया' के अनुसार अपने देश में हर साल छियानवे हजार बच्चे खो जाते हैं, जिनमें से इकतालीस हजार, पांच सौ छियालीस बच्चे कभी नहीं मिलते। संगठन का कहना है कि भारत में हर घंटे ग्यारह बच्चे खो जाते हैं। इनमें से चार का पता कभी नहीं चलता। भारत के छह सौ चालीस जिलों में से तीन सौ बानवे जिलों में जनवरी, 2008 से जनवरी, 2010 में खोए हुए बच्चों का अध्ययन किया गया था। उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें सबसे गम्भीर बात यह बताई गई थी कि खोए हुए बच्चे या तो बंधुआ मजदूरी का काम करते हैं या तरह—तरह से उनका यौन शोषण किया जाता है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा बच्चे खोते हैं।

क्राई संस्था का भी कहना है कि भारत में बड़ी संख्या में बच्चे लापता हो जाते हैं। 2011 में पहले चार महीनों में ही बारह सौ साठ बच्चे लापता हो गए थे। इन खो जाने वाले सत्तर फीसदी बच्चों की उम्र बारह से अठारह साल के बीच होती है। इनमें से रिपोर्ट्स के अनुसार ही हजारों बच्चे अपने घर कभी लौट ही नहीं पाते। बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों को पुलिस के रवैये से भी नाराजगी है। उनका कहना है कि पुलिस अक्सर खोए हुए बच्चों की रिपोर्ट ही नहीं लिखती। हालांकि, यह भी सच है कि अनेक मामलों में पुलिस बच्चों को ढूंढ़ती भी है। दिल्ली में खोए हुए बच्चों को उनके माता—पिता से मिलाने के लिए 'आपरेशन मिलाप' नामक कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस लेख की शुरुआत में पुलिस द्वारा खोए बच्चों का जिक्र है। यह भी कि उनमें से बहुत से बच्चों को अपने घर का पता या लैंडमार्क ही नहीं मालूम होता। इसके लिए पुलिस अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है। पुलिस का कहना है कि अपने बच्चों को घर का पता ठीक से याद कराएं। हो सके तो फोन नम्बर भी उन्हें याद करा दें। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते जब भी वे घर से बाहर जाएं, उनके कपड़ों पर घर का पता और फोन नम्बर लिख कर हमेशा रख दें।

न जाने कितने माता—पिता ऐसे होते हैं, जो जीवन अपने खोए हुए बच्चों के इंतजार में गुजार देते हैं कि शायद एक दिन ऐसा हो कि बच्चा वापस आ जाए। कई बार बीस, बीस साल बाद बच्चे किसी सुखद संयोग के कारण माता—पिता के पास लौटते हैं। ऐसे में जिन माता—पिता के बच्चे पुलिस या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से घर लौट आते हैं उनकी खुशी के कहने क्या।

मुम्बई में रेलवे पुलिस में कार्यरत हैं रेखा मिश्रा। वे अब तक सैकड़ों लापता बच्चों को उनके माता—पिता से मिलवा चुकी हैं। मुम्बई में देशभर से भागे हुए बच्चे आते हैं। इनकी भाषा समझना एक बड़ी चुनौती होती है। एक बार चेन्नई की तीन लड़कियों को अगवा करके मुम्बई लाया गया था।

लेकिन वे केवल तमिल बोलती थीं। तब रेखा ने एक तमिल बोलने वाले की मदद से उन लड़कियों की बातों को समझा। चेन्नई से पता चला कि लड़कियों के माता—पिता ने उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेखा ने यह भी बताया कि कई बार माता—पिता ही इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे खो गए हैं। कई बार बहुत से बच्चे घर वापस नहीं जाना चाहते।

कार्यालय ग्राम पंचायत किशुनपुर वि0ख0-हर्रैया जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 04—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 05—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राजमती) ग्राम प्रधान　　**(सुभद्रा सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

कार्यालय ग्राम पंचायत पुरैना खास वि0ख0-हर्रैया जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 03—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 04—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मोहम्मद सलीम) ग्राम प्रधान　　**(सुभद्रा सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

आपातकाल लागू कर की गई थी लोकतंत्र की हत्या -राजीव

संवाददाता—गोण्डा। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता इंदिरा गांधी जो उसे समय प्रधानमंत्री थीं ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करके लोकतंत्र की हत्या ही नहीं की थी अपितु अटल बिहारी वाजपेई, राजनाथ सिंह, जेपी नारायण, मोरार जी देसाई सहित विपक्षी नेताओं और लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस—ठूंस कर अत्याचार किया था जिसमें लोकतंत्र 22 सेनानियों की मौत भी हो गई थी। जो समाज अतीत के अत्याचार को भुला देता है वह समाज और राष्ट्र कभी भी मजबूत नही हो सकता। वह पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित श्आपातकाल और लोकतंत्र की हत्याश विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे । कहा कि कितना हास्यास्पद लगता है जब आज लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करती है जबकि असली लोकतंत्र और संविधान को बचाने और मानने वाले तो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। सम्मेलन को पूर्व जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, सूर्य नारायण तिवारी, केके श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप व संचालन जिला महामंत्री जसवंत सोनकर ने किया। इसके पूर्व मुख्यातिथि राजीव मिश्र ने लोकतंत्र सेनानी आनंद प्रकाश, राम शब्द गुप्ता, इकबाल बहादुर तिवारी, जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी को अंग वस्त्र प्रदान कर व माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। इसके बाद आपातकाल के विरोध में सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला। इस अवसर पर अनुपम प्रकाश मिश्र, नीरज मौर्य, अंजू सिंह, अर्जुन तिवारी, मधुबाला वर्मा, पुनीत सिंह, विनय शर्मा, दीपक गुप्ता, विद्याभूषण द्विवेदी, नंदकिशोर नंदू, अविनाश जयसवाल, अभिषेक त्रिपाठी, शिवा यादव, रवि दुबे रहे।

राज कुमार अध्यक्ष व कमल नयन बने महामंत्री

संवाददाता—बलरामपुर। तहसील परिषद स्थित सभागार में मंगलवार को अधिवक्ता परिषद की बैठक की गई। जिसमें अधिवक्ता परिषद अवध क्षेत्र के दिशा निर्देश पर नए परिषद का गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय—श्रीमान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय फैजाबाद
मूलवाद सं0 2023/3034
कुंवर बहादुर सिंह
बनाम
गांवसभा आदि

1. रूपलाल 2. ध्रुवराज पुत्रगण रामकृपाल
3. रविकांत पुत्र रामकृपाल 4. जगजीवन पुत्र रमेसर 5. कृष्णकुमार पुत्र राधेश्याम 6. अल्लादीन पुल शकूर 6. रसीदा पत्नी रहीम उल्ला 8. जमील पुत्र अतीउल्ला 9. हमीदा खातून पत्नी मो० कलीम 10. मो० आलम पुत्र मो0 कलीम 11. ताज मोहम्मद 12. एजाज अहमद 13. यार मोहम्मद 14. इसरार अहमद पुत्रगण मो0 कासिम 15. अख्तर जहाँ पुत्री आस मो0 16. राज आलम 17. शहजाद आलम पुत्रगण आस मोहम्मद 18. आफताब आलम पुत्र मो0 आस 19. मोहम्मद रजा पुत्र पीरू 20. अहमद लल्लन अंसारी 21. शफी अहमद अंसारी
22 लल्लन अंसारी 23 अकील अहमद लल्लन अंसारी पुत्रगण लल्लन अंसारी 24. लल्लन सिंह 25. सुखदेव सिंह 26. अजय कुमार सिंह पुत्रगण साधू सिंह 27 तेजभान सिंह 28. सुरेश कुमार सिंह पुत्रगण रामसेवक सिंह निवासीगण ग्राम राजेपुर परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला—अयोध्या

तारीख पेशी 29—06—2024

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2024 के माह 06 के 29 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत छपिया बुजुर्ग वि0ख0-हर्रैया जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 01—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कंचन) ग्राम प्रधान **(सत्येन्द्र चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

कार्यालय ग्राम पंचायत समसपुर वि0ख0-बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 02—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(इन्द्रावती) ग्राम प्रधान **(जितेन्द्र अरोरा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

कार्यालय ग्राम पंचायत मझौवा कुंवर वि0ख0-हर्रैया जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 02—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 03—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अरविन्द कुमार) ग्राम प्रधान **(सुभद्रा सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

कार्यालय ग्राम पंचायत दुबखरा वि0ख0-बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 26—06—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 10.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 26—06—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राजेन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

कार्यालय ग्राम पंचायत दिवाकरपुर वि0ख0-हर्रैया जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 01—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(संजू देवी) ग्राम प्रधान **(सुभद्रा सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

कार्यालय ग्राम पंचायत देवरिया वि0ख0-बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024—25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26—06 2024 से 02—07—2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02—07—2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा—गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते— सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0—50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को नियमानुसार वाणिज्यकर एवं 2 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अब्दुल जब्बार) ग्राम प्रधान **(जितेन्द्र अरोरा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024—25

लो वोल्टेज को लेकर फूटा गुस्सा, बेमियादी धरना शुरू

संवाददाता—महराजगंज। सिसवा नगर में लो वोल्टेज, बिजली कटौती व विभाग के जिम्मेदारों द्वारा मनमानापन रवैये को लेकर मंगलवार को नगर के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्र पंचायत सदस्य राजन विश्वकर्मा के नेतृत्व में युवा विद्युत उपकेंद्र पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सिसवा कस्बे में विगत एक माह से लो वोल्टेज व बिजली कटौती की समस्या अनवरत चली आ रही थी। और इस दिशा में विभागीय जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए थे। जिसको लेकर मंगलवार को कस्बे के युवा क्षेत्र पंचायत सदस्य राजन विश्वकर्मा के नेतृत्व में सिसवा विद्युत उपकेंद्र पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। राजन विश्वकर्मा ने कहा कि सिसवा में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या चरम पर है। जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि विभाग के जिम्मेदारों द्वारा सरकार की योजनाओं के विपरीत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विभाग के एक जिम्मेदार पर धनउगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली का बिल दुरुस्त कराने, लोड बढ़वाने या कनेक्शन लेने में जमकर धनउगाही की जा रही है।

युवाओं ने कहा कि जब तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा धरनास्थल पर आकर ऐसे अधिकारी को हटाने और लोवोल्टेज, बिजली कटौती की समस्या को दुरुस्त नहीं कराया जाएगा, तक तक यह धरना अनवरत जारी रहेगा। धरने में सूरज पांडेय, शहजाद, नवीन मद्धेशिया, विवेक तिवारी, अजय सिंह, दीपू मद्धेशिया, दीपक सोनी, जितेंद्र सिंह सहित तमाम युवा शामिल रहे।

अदालती नोटिस

विपक्षी व्यक्ति के नाम नोटिस
(धारा—63 अनुसूची—5 प्रपत्र सं0—1)
न्यायालय— श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय संतकबीरनगर उ0प्र0
वाद 374/11/2023
थाना—दुधारा
साधना देवी
बनाम
रिंकू यादव उर्फ अभिषेक यादव

तारीख पेशी 22—07—2024

विपक्षी—रिंकू यादव उर्फ अभिषेक यादव पुत्र झोरी लाल यादव निवासी परसोहिया उर्फ सिहियहवां थाना बेलहर जनपद— जिला संतकबीरनगर
विपक्षी के नाम
चूंकि आपकी उपस्थिति 125 सी.आर.पी.सी. के अपराध का उत्तर देने के लिए आवश्यक है अतएव आपको एतत द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्वयं/अधिवक्ता द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सन् 2024 ई0 के 07 मास के 22 दिवस को उपस्थित हो। ऐसा करने में त्रुटि न हो।
सन् 20 ई0 मास के दिवस को हस्ताक्षरित हो।
हस्ताक्षर
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती

अदालती नोटिस

विपक्षी व्यक्ति के नाम नोटिस
(धारा—63 अनुसूची—5 प्रपत्र सं0—1)
न्यायालय— श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय संतकबीरनगर उ0प्र0
वाद 395/11/2021
थाना—धनघटा
ललिता उर्फ प्रमिला
बनाम
सुनील कुमार नायक

तारीख पेशी 27—06—2024

विपक्षी—सुनील कुमार नायक पुत्र रमेश चन्द्र साकिन चन्दौली माफी पोस्ट गोविन्दगंज बाजार थाना धनघटा जिला संतकबीरनगर
विपक्षी के नाम
चूंकि आपकी उपस्थिति 125 सी.आर.पी.सी. के अपराध का उत्तर देने के लिए आवश्यक है अतएव आपको एतत द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्वयं/अधिवक्ता द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सन् 2024 ई0 के 06 मास के 27 दिवस को उपस्थित हो। ऐसा करने में त्रुटि न हो।
सन् 20 ई0 मास के दिवस को हस्ताक्षरित हो।
हस्ताक्षर
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती

भाजपाइयों ने आपातकाल दिवस पर जताया विरोध

संवाददाता–संतकबीरनगर। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। भाजपा सिंचाई बंधु प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि देश के आजाद होने के लगभग दो दशक बाद 1975 का आज का दिन भारतीय राजनीति का काला अध्याय था। तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाते हुए राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत प्रताड़ना की दौर में रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक एवं राजनीतिक अत्याचार का काल था। देश में सभी चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मानवाधिकारों को कुचल दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। वही लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इस दौरान राम प्रताप पाण्डेय, पवन कुमार त्रिपाठी, कृपा शंकर यादव, अशोक पाठक, अनिल दूबे, आशुतोष, धीरेन्द्र गुप्ता सावन आदि लोग मौजूद रहे।

संदिग्ध हाल में घायल मजदूर की मौत

संवाददाता–संतकबीरनगर। मेंहदावल क्षेत्र के शिवहरी गांव के रहने वाले संदिग्ध हाल में घायल हुए मजदूर की मंगलवार को मौत हो गई। पीड़ित परिजन युवक की मौत की वजह को लेकर तरह–तरह की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पुलिस की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। मेंहदावल क्षेत्र के शिवहरी गांव निवासी पीड़ित बड़े भाई दिनेश पुत्र जयराम ने बताया कि उसके छोटे भाई सोनू उर्फ नंद किशोर (28) शटरिंग का काम करते थे। आरोप है कि उसके गांव का एक युवक बाइक लेकर सोमवार को उसके घर आया और छोटे भाई को लेकर कहीं चला गया। साथ में सोनबरसा के बगहिया का रहने वाला दूसरा युवक भी था।

कार्यालय ग्राम पंचायत सिकरा हकीम वि0ख0-बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26–06 2024 से 02–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02–07–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10 11	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को नियमानुसार वाणिज्यकर एवं 2 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(इमरान अहमद) ग्राम प्रधान **(जितेन्द्र अरोरा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /25.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत- फुलवरिया वि0ख0 - उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **फुलवरिया**, विकास खण्ड उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण, पार्किंग बेन्च लगवाने हेतु, ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/ सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2024–25 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 30–06–2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **फुलवरिया** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन अहरान्ह 02:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **फुलवरिया** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय महदेवा लाला से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान-श्रीमती दुखना देवी
ग्राम पंचायत– फुलवरिया
विकास खण्ड–उसका बाजार
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव-अखिलेश कुमार
ग्राम पंचायत– फुलवरिया
विकास खण्ड–उसका बाजार
जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत- बरदहा वि0ख0 - उसका बाजार, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बरदहा**, विकास खण्ड उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण, पार्किंग बेन्च लगवाने हेतु, ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/ सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2024–25 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 27–06–2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **बरदहा** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन अहरान्ह 02:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **बरदहा** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय महदेवा लाला से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान-श्रीमती मनावती देवी
ग्राम पंचायत– बरदहा
विकास खण्ड–उसका बाजार
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव-अखिलेश कुमार
ग्राम पंचायत– बरदहा
विकास खण्ड–उसका बाजार
जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय- ग्राम पंचायत-गौरडीह विकास खण्ड-खुनियांव, जनपद- सिद्धार्थनगर

–:अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना:–

ग्राम पंचायत **गौरडीह** विकास खण्ड **खुनियांव** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, चौदहवां वित्त, पंद्रहवां वित्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, स्वच्छ भारत मिशन अभियान (SLWM) योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईंट, इण्टरलाकिंग ईंट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, व पेन्ट, वायरिंग, पत्थर, बोर्ड, ईंट का टुकड़ा, पत्थर की गिट्टी, हैंडपंप परम्मत, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई किट, छिड़काव मशीन, आरो प्लान्ट से संबंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 29.06.2024 को 2.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **गौरडीह** के निविदा बाक्स में डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी। धरोहर की राशि मु. 5000/(पांच हजार रुपये) होगी।

नियम व शर्ते :–

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा, उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा।

3– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा।

4– सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाये वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

7– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगी।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा।

10– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे संबंधी एवं रिश्तेदार द्वारा दरे प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी, शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11– सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु संबंधित के पास डीलरशिपध्एजेन्सी होना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सीमेन्ट का है पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा।

13– स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

14– धरोहर की धनराशि नकद, राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडीआर एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गौरडीह** के नाम बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

15– आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 7 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने के दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

16– निविदा फार्म ग्राम पंचायत **गौरडीह** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपये है, पर ही स्वीकार किया जायेगा।

17– सामग्री की आपूर्ति के संबंध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **गौरडीह** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

गुल बहार
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–**गौरडीह**
विकास खण्ड–खुनियांव
जनपद–सिद्धार्थनगर

सुजीत कुमार जायसवाल
सचिव
ग्राम पंचायत–**गौरडीह**
विकास खण्ड–खुनियांव
जनपद–सिद्धार्थनगर

कार्यालय- ग्राम पंचायत-होरिलापुर विकास खण्ड-खुनियांव, जनपद- सिद्धार्थनगर

–:अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना:–

ग्राम पंचायत **होरिलापुर** विकास खण्ड **खुनियांव** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राज्य वित्त, तेरहवां वित्त, चौदहवां वित्त, पंद्रहवां वित्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, स्वच्छ भारत मिशन अभियान (SLWM) योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रथम श्रेणी ईंट, इण्टरलाकिंग ईंट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, व पेन्ट, वायरिंग, पत्थर, बोर्ड, ईंट का टुकड़ा, पत्थर की गिट्टी, हैंडपंप परम्मत, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई किट, छिड़काव मशीन, आरो प्लान्ट से संबंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 28.06.2024 को 1.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा दर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **होरिलापुर** के निविदा बाक्स में डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेंगी। धरोहर की राशि मु. 5000/(पांच हजार रुपये) होगी।

नियम व शर्ते :–

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा, उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकर देता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का आयकर क्लीयरेन्स संलग्न करना होगा।

3– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा।

4– सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाये वह वैट तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

7– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी.डब्लू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगी।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा।

10– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव, सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे संबंधी एवं रिश्तेदार द्वारा दरे प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी, शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11– सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु संबंधित के पास डीलरशिपध्एजेन्सी होना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सीमेन्ट का है पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा।

13– स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा। गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

14– धरोहर की धनराशि नकद, राष्ट्रीयकृत बैंक के एफडीआर एवं एनएससी/डाकघर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **होरिलापुर** के नाम बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

15– आपूर्ति दर स्वीकृत होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश देने के 7 दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने के दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

16– निविदा फार्म ग्राम पंचायत **होरिलापुर** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपये है, पर ही स्वीकार किया जायेगा।

17– सामग्री की आपूर्ति के संबंध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत **होरिलापुर** के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मो. अजहरुद्दीन
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–**होरिलापुर**
विकास खण्ड–खुनियांव
जनपद–सिद्धार्थनगर

सुजीत कुमार जायसवाल
सचिव
ग्राम पंचायत–**होरिलापुर**
विकास खण्ड–खुनियांव
जनपद–सिद्धार्थनगर

कार्यालय संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल– बस्ती

पत्रांक: स0उ0नि0प्र0बस्ती/निविदा/2024–136 दिनांक: 22.06.2024

ई–निविदा विज्ञप्ति

परिषद पत्रांक क0 सेल/104(3)/2024–3966 दिनांक 19.4.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बस्ती संभाग के अन्तर्गत मण्डी परिषद/मण्डी समितियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटरों (आउटसोसिंग) की तैनाती हेतु निम्नानुसार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है–

क्रमांक	तैनाती स्थल/कार्यालय का नाम	कम्प्यूटर आपरेटर (आउटसोसिंग) की स्वीकृति
1	संभागीय कार्यालय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद बस्ती।	1
2	उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद बस्ती।	1
3	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बस्ती।	2
4	सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति बलरामपुर।	2
5	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति तुलसीपुर।	2
6	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति पचपेड़वा।	1
7	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति सहियापुर।	2
8	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति नौगढ़।	2
9	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति खलीलाबाद।	2
10	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति उतरौला।	1
11	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बाँसी।	1
12	सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति शोहरतगढ़।	1
	योग	18

उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटरों (आउटसोर्सिग) कार्य हेतु प्रोविडेंट फण्ड अधिनियम एवं ई०एस०आई0 कारपोरेशन अधिनियम तथा श्रम विभाग एवं आई०एस0ओ0 9001–2008 के अन्तर्गत पंजीकृत अनुभवी व्यक्तियों/फर्मो से ई टेण्डर के माध्यम से निविदायें आमत्रित की जाती है। कम्प्यूटर आपरेट (आउटसोर्सिंग) कार्य हेतु निविदा की सर्वन्यून दरें शासनादेशानुसार स्वीकृत की जायेंगी। कप्यूटर आपरेटरों (आउटसोर्सिंग) कार्य हेतु निविदा के साथ धरोहर धरोहर धनराशि के रिसीट की स्कैण्ड कापी आनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी। निविदा के सभी प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। निविदा सम्बन्धित प्रपत्रों को पी०डी०एफ० फार्मेट में स्कैन कर पठनीय प्रति ही अपलोड की जाय, अपठनीय कटिंग/ओवरराइटिंग युक्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र आनलाइन वेबसाइट www.gem.gov.in पर दिनांक 10.7.2024 को अपरान्ह 01.00 बजे तक अपलोड की जा सकेगी। टेक्निकल बिड दिनांक 10.7.2024 को अपरान्ह ०2.०० बजे गठित समिति के द्वारा आनलाइन खोली जायेगी। टेक्निकल बिल के प्रपत्रों के जांचोपरान्त इसमें अर्ह निविदादाताओं की ही वित्तीय विडे खोलकर अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जायेंगी। निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सम्भागीय उपनिदेशक (प्र०/विप०) मण्डी परिषद बस्ती के पास सुरक्षित रहेगा।

(ज्योति यादव)
उप निदेशक (प्रशा०/विप०)

व्यापारी उजड़े तो सड़क पर आ जाएंगे

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखपुर इलेक्ट्रिकल्स एसोसिएशन (रजि.) के अध्यक्ष राजीव रस्तोगी की अध्यक्षता में असुरन से पादरी बाजार तक प्रस्तावित फोरलेन से प्रभावित व्यापारियों को लेकर बैठक हुई।

अध्यक्ष ने कहा कि फोरलेन की चौड़ाई को कम नहीं किया गया तो सैकड़ों व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि विकास होना चाहिए लेकिन व्यापारियों का हित प्रभावित नहीं हो इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान पद्म अग्रवाल, संजय टिबड़ेवाल, केपी सिंह, कृष्ण मुरारी, दीपू, सुल्तान के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

दैनिक भारतीय बस्ती
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com